

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 669 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

दयामनी संगी.....आवेदक / विक्रेता

विनीता खेस्स.....क्रेता

वनाम्

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

} प्रथम पक्ष

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----|---|------|------|--|
| 17.03.2024 | <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदिका दयामनी संगी पति स्व० मनसुख संगी ग्राम-फुदी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरण</p> <table border="1" data-bbox="239 873 1396 996"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जियारप्पा</td> <td>227</td> <td>5</td> <td>2070</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक दयामनी संगी पति स्व० मनसुख संगी ग्राम-फुदी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता विनीता खेस्स पिता इलियाजर खेस्स ग्राम-कदमा, पो०-खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते हैं।</p> <p>आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कार्य हेतु विक्री करना चाहते हैं। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं० 0386426578 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई।</p> <p>उपरोक्त अनुमति वाद के आलोक में आम नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की विक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 256 दिनांक 11.03.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदिका की खरीदगी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम कइला मुण्डा वगैरह है। आवेदिका पंजी II रैयत</p> | ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा(एकड़ में) | जियारप्पा | 227 | 5 | 2070 | 0.10 | |
| ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा(एकड़ में) | | | | | | | | |
| जियारप्पा | 227 | 5 | 2070 | 0.10 | | | | | | | | |

स्वयं है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ठ सं0 238 पर जमाबंदी दर्ज है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 113 दिनांक 03.02.2024 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0- JHCST/2024/51021 दिनांक 09.02.2024 व आवासीय प्रमाण पत्र सं0- JHLRCO/2023/764052 दिनांक 11.01.2024 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि को बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 256 दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदिका दयामनी संगी पति स्व0 मनसुख संगी ग्राम-फुदी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता विनीता खेस्स पिता इलियाजर खेस्स ग्राम-कदमा, पो0-खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम जियारप्पा के खाता सं0 5, खेसरा संख्या 2070, कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।